भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1648
दिनांक 05.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल आपूर्ति में निजी कंपनियों को शामिल करना

1648. श्री राजा राम सिंहः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) राज्यों की जिम्मेदारी होने के बावजूद जल आपूर्ति में निजी कंपनियों को शामिल करने के विशिष्ट कारण क्या हैं;
(ख) जल भंडारण, शोधन और आपूर्ति में निजी कंपनियों की भूमिका बढ़ने के क्या कारण हैं और इसे विनियमित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए/किए जा रहे हैं:
(ग) कई शहरी क्षेत्रों में, विशेष रूप से निजी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा आपूर्ति के तहत, पानी के बढ़ते शुल्क को रोकने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गये नियामक तंत्र का ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार को निजी कंपनियों के खिलाफ कोई शिकायत मिली है और यदि हां, तो शिकायतों की संख्या, शिकायत की प्रकृति क्या है और पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (घ) माह अगस्त 2019 से, भारत सरकार कार्यशील नल जल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य जल अर्थात नियमित और दीर्घकालिक आधार पर निर्धारित गुणवत्ता (बीआईएस: 10500) के 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (एलपीसीडी) के सेवा स्तर का प्रावधान करने हेतु राज्यों की भागीदारी में जल जीवन मिशन (जेजेएम)-हर घर जल को क्रियान्वित कर रही है।

जल राज्य सूची का विषय है। पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, डिजाइन, अनुमोदन और कार्यान्वयन राज्यों द्वारा किया जाता है। भारत सरकार वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है। राज्य सरकारें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार परियोजना रिपोर्टें तैयार करने, परियोजनाओं के निष्पादन आदि के लिए निजी कंपनियों को शामिल कर सकती हैं। इसके अलावा,

अनियमितताओं/भ्रष्टाचार/शिकायतों से संबंधित अब तक प्राप्त जन शिकायतों को आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित राज्य सरकार को अग्रेषित कर दिया गया है।

इसके अलावा, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने सूचित किया है कि उसने राष्ट्रीय मिशनों के कार्यान्वयन के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में पानी के स्थायी प्रबंधन की दिशा में बहुत सी पहल की हैं, अर्थात् वर्ष 2015 में शुरू किए गए अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) और वर्ष 2021 में अमृत 2.0 शुरू किया गया। अमृत बुनियादी शहरी अवसंरचना के विकास, विशेष रूप से 500 शहरों में हर घर में जल आपूर्ति और नल कनेक्शन की उपलब्धता पर केंद्रित है। इसे आगे बढ़ाते हुए, अमृत 2.0 देश के सभी सांविधिक शहरों को शामिल करता है ताकि पानी की आपूर्ति की सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित हो और शहरों को 'जल सुरक्षित' बनाया जा सके। इसमें जल निकायों के नवीकरण, शहरी जलभृत प्रबंधन, पुनर्चक्रण और पुन: उपयोग को बढ़ावा देने और मीठे पानी के संसाधनों को बढ़ाने के लिए वर्षा जल संचयन की परिकल्पना की गई है। जल उपलब्धता और संरक्षण के लिए अब तक आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की शीर्ष समिति द्वारा 1,14,073.65 करोड़ रुपये की 3,596 जलापूर्ति परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

*****